



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233033
CG-DL-E-01022022-233033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 83]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 09/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 83(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्यांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्यांक 146/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमाम्य होगी।” ;

2.	अधिसूचना संख्यांक 147/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।”;
3.	अधिसूचना संख्यांक 39/96 सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में,- (i) इस सारणी में क्रम संख्या 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31, 31क, 31ख, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। (ii) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
4.	अधिसूचना संख्यांक 50/96 सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
5.	अधिसूचना संख्यांक 30/2004 सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
6.	अधिसूचना संख्यांक 81/2005 सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
7.	अधिसूचना संख्यांक 5/2017 सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017	उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
8.	अधिसूचना संख्यांक 16/2017 सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017	उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों

		के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;
9.	अधिसूचना संख्यांक 32/2017 सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जिसे संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ (3) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “स्पष्टीकरण.- शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह सशर्त छूट, जब तक फेरफार या विखंडित न किया जाए, 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य होगी।” ;

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना सं.146/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. मूल अधिसूचना सं.147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 106/2008 -सीमाशुल्क, तारीख 22 सितंबर, 2008 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 671(अ), तारीख 22 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
3. मूल अधिसूचना सं.39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 33/2019- सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 706(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
4. मूल अधिसूचना सं.50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 44/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
5. मूल अधिसूचना सं.30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 44/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
6. मूल अधिसूचना सं.81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 22/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 216(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
7. मूल अधिसूचना सं.5/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।
8. मूल अधिसूचना सं.16/2017-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड, (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 41/2020- सीमाशुल्क, तारीख 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 683(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
9. मूल अधिसूचना सं.32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड,(i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 09/2022-Customs

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 146/94-Customs, dated the 13 th July, 1994 <i>vide</i> number G.S.R. 575(E), dated the 13 th July, 1994.	In the said notification, after the TABLE, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
2.	Notification No. 147/94-Customs, dated the 13 th July, 1994 <i>vide</i> number G.S.R. 576(E), dated the 13 th July, 1994.	In the said notification, after the TABLE, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
3.	Notification No. 39/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996 <i>vide</i> number G.S.R. 291(E), dated the 23 rd July, 1996.	In the said notification, - (i) in the TABLE, S. Nos. 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, and the entries relating thereto shall be omitted; (ii) after paragraph 2, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
4.	Notification No. 50/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996 <i>vide</i> number G.S.R. 302(E), dated the 23 rd July, 1996.	In the said notification, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, at the end, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
5.	Notification No. 30/2004-Customs, dated the 28 th January, 2004 <i>vide</i> number G.S.R. 81(E), dated the 28 th January, 2004.	In the said notification, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, at the end, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of

		section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
6.	Notification No. 81/2005-Customs, dated the 8 th September, 2005 <i>vide</i> number G.S.R. 569(E), dated the 8 th September, 2005.	In the said notification, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, at the end, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
7.	Notification No. 5/2017-Customs, dated the 2 nd February, 2017 <i>vide</i> number G.S.R. 89(E), dated the 2 nd February, 2017.	In the said notification, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, at the end, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
8.	Notification No. 16/2017-Customs, dated the 20 th April, 2017 <i>vide</i> number G.S.R. 394(E), dated the 20 th April, 2017.	In the said notification, after the TABLE, the following <i>Explanation</i> shall be inserted, namely- “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;
9.	Notification No. 32/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017 <i>vide</i> number G.S.R. 767(E), dated the 30 th June, 2017.	In the said notification, in the TABLE, against S. No. 2, in column (3), the following <i>Explanation</i> shall be inserted, at the end, namely: - “ Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, this conditional exemption shall, unless varied or rescinded, be valid upto the 31 st March, 2023.”;

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended by notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.
2. The principal notification No. 147/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.576(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended by notification No.106/2008-Customs, dated the 22nd September, 2008, *vide* number G.S.R. 671(E), dated the 22nd September, 2008.
3. The principal notification No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.291(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No. 33/2019-Customs, dated the 30th September, 2019, *vide* number G.S.R. 706(E), dated the 30th September, 2019.

4. The principal notification No. 50/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.302(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No. 44/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R.779(E), dated the 30th June, 2017.
5. The principal notification No. 30/2004-Customs, dated the 28th January, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.81(E), dated the 28th January, 2004 and was last amended by notification No. 44/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R. 779(E), dated the 30th June, 2017.
6. The principal notification No. 81/2005-Customs, dated the 8th September, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.569(E), dated the 8th September, 2005 and was last amended by notification No. 22/2016-Customs, dated the 1st March, 2016, *vide* number G.S.R. 216(E), dated the 1st March, 2016.
7. The principal notification No. 5/2017-Customs, dated the 2nd February, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.89(E), dated the 2nd February, 2017.
8. The principal notification No. 16/2017-Customs, dated the 20th April, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.394(E), dated the 20th April, 2017 and was last amended by notification No. 41/2020-Customs, dated the 29th October, 2020, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 29th October, 2020.
9. The principal notification No. 32/2017-Customs dated 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.767(E), dated the 30th June, 2017.